तत् त्वं पूषन् अपावृणु

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश

हेतु

दिशा-निर्देश

(2019-20 एवं उसके आगे)

केंद्रीय विद्यालय संगठन

नई दिल्ली

<u>**विषय सूची**</u>

भाग–क **सामान्य दिशा–निर्देश**

भाग–ख **विशेष प्रावधान**

भाग–ग **प्रवेश प्रक्रिया**

केविसं

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

भाग-क

सामान्य दिशा-निर्देश

1. केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पूर्व में जो भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं उनको निरस्त करते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 एवं उसके आगे से प्रभावी निम्नलिखित दिशा-निर्देश विद्यालयों में प्रवेश नियमितीकरण हेतु जारी किए जाते हैं। ये दिशा-निर्देश विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालयों पर लागू नहीं हैं।

2. परिभाषाएं **:-**

जब तक संदर्भ से दूसरी बात अपेक्षित न हो, इन दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावलियों की परिभाषा इस प्रकार से होंगी:-

(i) **केंद्रीय सरकार के कर्मचारी :-** कर्मचारी, जो नियमित है (अर्थात जिस पद पर कर्मचारी कार्यरत है उस पद की स्वीकृति सरकार द्वारा की गयी हो एवं जिसकी नियुक्ति स्थायी पदों के तहत हुई हो) भारत की समेकित निधि से अपनी परिलब्धियॉ प्राप्त करता है।

(ii) **स्थानांतरणीय :** कर्मचारी, जो पूर्वगामी 7 वर्षों में कम से कम एक बार स्थानांतरित हो चुका है, उसे स्थानांतरणीय माना जाएगा।

(iii) **स्थानांतरण :** कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान/शहरी संकुल से दूसरे स्थान/शहरी संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया है और जो स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।

(iv) **स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:** भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्तपोषित अथवा सरकार के 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सेधारी वाले स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ही इस वर्ग में माना जाएगा।

(v) **इकलौती कन्या संतान** : वह संतान जो इकलौती कन्या हो एवं उसका कोई सहोदर भाई या बहन न हो ।

3. प्रवेश में प्राथमिकताएं :

प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा :

क. सिविल/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय :

1. पूर्व-सैनिकों के बच्चो सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं।
2. भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशी नागरिकों के बच्चें भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते है। **विदेशी नागरिकों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा** जब प्रतिक्षारत सूची में किसी भी भारतीय नागरिक का पुत्र/पुत्री न हो।

   टिप्पणी : बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय

1. विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चें एवं उनके पौत्र/पौत्रियां, प्रोजेक्ट कर्मचारियों और ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते है के बच्चे, वार्डन परिषद के नियमित कर्मचारियों (सीओडब्ल्यू) के बच्चें एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके पौत्र/पौत्रियॉ ।

<u>टिप्पणी :</u> प्रवेश में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों, **सेवारत** कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियॉ और सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र/पौत्रियॉ को उसी अनुक्रम में प्राथमिकता दी जाएंगी ।

2. पूर्व-सैनिकों के बच्चो सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं।
3. भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
4. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. राज्य सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
6. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशी नागरिकों के बच्चें भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते है। **विदेशी नागरिकों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा** जब प्रतिक्षारत सूची में किसी भी भारतीय नागरिक का पुत्र/पुत्री न हो।

<u>टिप्पणी :</u> बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

4. प्रवेश के लिए पात्र आयु:-

जिस शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा-1 में प्रवेश मांगा जा रहा है उस वर्ष की 31 मार्च को बच्चे की आयु पांच वर्ष की होनी आवश्यक है (जिस बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल हो उस पर भी विचार किया जाए)।

क) केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु इस प्रकार होगी: (जिस बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल हो उस पर भी विचार किया जाए)।

कक्षा	जिस वर्ष के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की न्यूनतम आयु	जिस वर्ष के लिए प्रवेश मांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की अधिकतम आयु
I	5 वर्ष	7 वर्ष
II	6 वर्ष	8 वर्ष
III	7 वर्ष	9 वर्ष
IV	8 वर्ष	10 वर्ष
V	9 वर्ष	11 वर्ष
VI	10 वर्ष	12 वर्ष
VII	11 वर्ष	13 वर्ष
VIII	12 वर्ष	14 वर्ष
IX	13 वर्ष	15 वर्ष
X	14 वर्ष	16 वर्ष

<u>टिप्पणी :</u> विकलांग बच्चों को अधिकतम आयु में दो वर्ष की छूट प्राचार्य द्वारा ही दी जा सकती है ।

ख. कक्षा -11 में प्रवेश के लिए आयु का कोई सीमा नहीं है बशर्ते कि संबंधित विद्यार्थी कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष में प्रवेश चाह रहा हो। इसी तरह कक्षा 12 में प्रवेश हेतु कोई अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10/11 उत्तीर्ण करने के बाद उसके नियमित अध्ययन में कोई अंतराल न हो।

5. कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और सक्षम प्राधिकारी

कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या	प्राधिकारी	दिनांक	टिप्पणी
40 तक	प्राचार्य	30 अप्रैल तक	पंजीकृत और पात्र उम्मीदवार बशर्ते कक्षा में रिक्तियाँ हों, कक्षा 11 को छोड़कर ।
		30 जून तक	पंजीकृत और पात्र उम्मीदवार बशर्ते कक्षा में रिक्तियाँ हों, केवल कक्षा 11 के लिए ।
45 तक	प्राचार्य	30 नवंबर तक	यह प्रावधान सिविल/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के श्रेणी-I से श्रेणी-IV के अभिभावकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के श्रेणी-I से श्रेणी-V के अभिभावकों के लिए है जिनका स्थानांतरण विगत वर्ष/वर्तमान सत्र में पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत हुआ है तो उनके बच्चों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
45 तक	प्राचार्य	30 नवंबर तक	यह प्रावधान उन रक्षा कर्मियों (आर्मी/नेवी/एयर फोर्स) के लिए है जिनका स्थानांतरण/सेवानिवृत्त विगत वर्ष/वर्तमान सत्र में पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत हुआ है तो उनके बच्चों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

6. प्रवेश में आरक्षण

क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी:

सभी केंद्रीय विद्यालयों में नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें आरक्षित होंगी।

ख. दिव्यांग श्रेणी :

नि:शक्तता अधिनियम 1995 (समान अवसर, अधिकारो की सुरक्षा व पूर्ण प्रतिभागिता) के साथ पठित शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए संस्तर रूप से आरक्षित होंगी।

7. के.वि. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं स्थानीय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश

i. यदि मात-पिता का स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हो गया है तो के.वि. के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर स्वत: ही (कक्षा में बच्चों की अधिकतम संख्या के ऊपर) बच्चे को प्रवेश दिया

जाएगा।यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 55 तक पहुंच जाती है तो अतिरिक्त सेक्शन खोलने के प्रयास किए जाएं।

ii. रक्षा कार्मिको और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी, जिनका स्थानांतरण यदि ऐसे स्थान पर होता है जहां परिवार नहीं रखा जा सकता या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वे अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर ऐसे केंद्रीय विद्यालय में करा सकेगें जहां वे अपना परिवार रखते हैं।

iii. अन्य सभी मामलों में जहां माता-पिता का स्थानांतरण नहीं हुआ है केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश केवल क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा।

iv. के.वि. **स्थानांतरण प्रमाण-पत्र** के आधार पर सभी स्थानीय स्थानांतरण मेरिट के आधार पर उपायुक्त के अनुमोदन के अनुसार किए जाएगें।

v. के.वि. **स्थानांतरण प्रमाण-पत्र** वाले छात्र को प्रोजेक्ट के.वि. में भी कक्षा में केवल 45 विद्यार्थियों की संख्या तक अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की पूर्वानुमति से प्रवेश प्रदान किया जा सकता है। इस सीमा के ऊपर प्रोजेक्ट विद्यालय में के.वि. **स्थानांतरण प्रमाण-पत्र** पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा/हालांकि, संभागीय उपायुक्त को अत्यंत वांछनीय मामलों में प्रोजेक्ट / निकटतम के.वि. में प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा।

8. केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान/राज्य बोर्ड/आईसीएससी के छात्र :

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान/राज्य बोर्ड/आईसीएससी के विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में रिक्तियां रहने पर प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा ।

9. 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं में प्रवेश:

केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश के मामलों पर रिक्त स्थान होने पर ही विचार किया जाएगा। कक्षा 10 एवं 12 में ऐसे प्रवेश के मामलों पर विचार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा ही किए जाएगें बशर्ते कि इन कक्षाओं में औसत संख्या 40 से कम हों।

ऐसे मामलों में प्रवेश के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें भी लागू होगी :

i) बच्चे ने सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालय में उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो।

ii) कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 09वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।

iii) कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 11वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए।

iv) केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी पात्र होना चाहिए।

v) केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों द्वारा चयन किए जाने वाले विषयों का संयोजन(Combination) उपलब्ध है।

10. विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश

अभिभावकों की विदेश में प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा उनका बच्चा यदि उनके साथ विदेश चला जाता है, भारत में उनकी वापसी पर जिस केन्द्रीय विद्यालय में अभिभावक अपने बच्चे का प्रवेश लेना चाहता है उस केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उसे अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा (ऐसा प्रेवश कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक/ऊपर दिया जाएगा)

11 रिक्तियों के प्रवेश हेतु:

30 जून के बाद किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तो संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त को 31 जुलाई तक प्रवेश प्राथमिकता की प्रत्येक श्रेणी एवं निर्धारित कक्षा संख्या के अनुसार प्रवेश हेतु अधिकृत किया गया है ।

नोट : प्रवेश दिशा-निर्देशों की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले में आयुक्त, के.वि.सं. का निर्णय अंतिम होगा।

भाग-ख

विशेष प्रावधान

1. इन प्रवेश दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों में अन्यथा उल्लिखित प्रवेश व्यवस्था को छोड़कर (जैसे मद संख्या XVI) निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक/ऊपर प्रवेश दिया जाएगा:

(i) माननीय सांसदों के बच्चे और उनके आश्रित पौत्र/पौत्रियां।

(ii) केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चे और पौत्र/पौत्रियां (पुत्र अथवा/और पुत्री के बच्चे)।

के.वि.सं.(केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जेडआईईटी और के.वि.सं.(मुख्या)) में सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चों और पौत्र/पौत्रियों को कक्षा की निर्धारित संख्या/स्थानांतरण/भर्ती पर ध्यान दिए बिना वर्ष में किसी भी समय प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा। तथापि कक्षा 9 में प्रवेश हेतु बच्चे को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी (जो अधिकारी/कर्मचारी के.वि.सं. में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करते हैं उनके बच्चों को भी के.वि.सं. के नियमित कर्मचारी के बच्चों के समतुल्य माना जाएगा) ।

(iii) कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।

(iv) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र, सेना मेडल(आर्मी), नौसेना मेडल(नौसेना), वायु सेना मेडल(वायु सेना) प्राप्तकर्त्ताओं के बच्चे।

(v) शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त तथा पुलिस पदक प्राप्तकर्त्ताओं के बच्चे।

(vi) सरकार द्वारा आयोजित एसजीएफआई/सीबीएसई/राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेलकूद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले मेधावी बच्चे।

(vii) स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता।

(viii) इकलौती कन्या संतान का प्रवेश कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में दो को प्रवेश दिया जाएगा।इसमें माता-पिता की जुड़वा पुत्रियां व अधिकतम पुत्रियां भी सम्मिलित हैं। ।

क) जुड़वा पुत्रियों का प्रवेश होने पर एक ही प्रवेश माना जाएंगा ।

ख) ड्रॉ की स्थिति आने पर जुड़वा पुत्रियों का नाम एक ही पर्ची पर लिखा जाए ।

ग) यदि इकलौती कन्या संतान (जुड़वा पुत्रियां भी सम्मिलित) के आवेदनो की संख्या निर्धारित सीटो की संख्या (कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में दो) से अधिक है तो प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए । यदि किसी एक श्रेणी में अधिक आवेदन किए गए हो तो सभी आवेदनो को एक साथ इकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाए ।

(ix) राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय बालभवन द्वारा प्रारंभ किए गए बालश्री पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता बच्चे।

(x) शिक्षकों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता शिक्षकों के बच्चे ।

(xi) ललित कलाओं में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे ।

(xii) केंद्रीय विद्यालय संगठन(मुख्या) द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा (30 जून तक) ।

(xiii) के.वि.सं.((मु) द्वारा जारी आदेशों पर विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को प्रतिवर्ष भारत में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा और 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश दिया जाएगा। ये प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर विनियमित होंगे :-

क) देशभर के कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में 60 प्रवेश केवल उन बच्चों के लिए हैं जो अपने अभिभावकों की तैनाती के उपरांत विदेश से लौट रहे हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत आम प्रवेश के समय शेष सीटों को ऐसे ही रखा जाएगा और शिक्षा-सत्र के प्रारंभ से लेकर 30 सितंबर की अवधि तक भारत लौटने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए ये सीटें उपयोग में लाई जाएंगी। 30 सितंबर के पश्चात भारत लौटने वाले अभिभावकों के बच्चों के प्रवेश पर 30 नवम्बर तक विचार किया जाएगा । इस प्राथमिकता के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों पर विशेष विचार नहीं किया जाएगा। ये सभी प्रवेश इस शर्त पर होंगे कि एक विद्यालय में एक वर्ष में 5 बच्चों से अधिक का प्रवेश न हो और बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश से पहले विदेश में जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे उस विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस उपबंध के अंतर्गत संबंधित कक्षाओं में विशेष प्रावधानों के अंतर्गत प्रवेश का कोटा एक बार पूर्ण हो जाने पर सभी प्रवेश बंद हो जाएगें।

ख) केंद्रीय विद्यालयों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु 15 सीटें केवल उन बच्चों के लिए होंगी जिनके अभिभावक विदेश में ऐसे स्टेशन पर तैनात किए गए हो, जहां शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इस संबंध में अपेक्षित सूचना विदेश मंत्रालय द्वारा दी जानी आवश्यक है। (30 नवंबर तक)

(xiv) अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) के कर्मचारियों के 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.) के द्वारा जारी आदेश के अनुरूप प्रवेश दिया जाएगा । इनमें से अधिकतम 5 सीटें दिल्ली में और शेष दिल्ली से बाहर दी जाएगी। (30 जून तक)

(xv) यदि उपबंध (XII) (XIII) और (XIV) के अंतर्गत पात्र बच्चों के प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न हो तो इन प्रवाधानों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त नामों को मनोनीत किया जा सकता है । (30 नवंबर तक)

(xvi) **(क)** सभी विद्यालयों में प्रायोजक अभिकरण के बच्चों के लिए, आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित विद्यालयों को छोड़कर, कक्षा एक के प्रत्येक सैक्शन में निर्धारित छात्र संख्या (40) तक 5 सीटें भरी जाएं ।

(ख) इसी तरह अन्य सभी कक्षाओं में कुल मिला कर 10 सीटें निर्धारित छात्र संख्या के अतिरिक्त प्रवेश हेतु अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्रायोजक अभिकरण (Sponsoring Agency) के बच्चो के प्रवेश हेतु संस्तुत किए जा सकते है । यदि प्रायोजक अभिकरण के कर्मचारियों के बच्चों के पर्याप्त संख्या में प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त न हुए हों तो अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति केंद्र सरकार के स्थानंतरणीय/अस्थानंतरणीय अथवा राज्य कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं यह छात्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होना चाहिए ।

(xvii) अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, संबंधित विद्यालय शिफ्ट में अपने विवेकाधिकार कोटे के अंतर्गत अधिकतम दो बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते है। कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर इन दो

प्रवेशों की संस्तुति एक ही कक्षा में अथवा अन्य कक्षाओं में अलग-अलग कुल मिलकर की जा सकती है। यह छात्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश देशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होना चाहिए । (16 अप्रैल तक)

(xviii) दिल्ली में जहां केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि डी.डी.ए. द्वारा प्रदान की गई है उन केंद्रीय विद्यालयों में डी.डी.ए. के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें तथा अन्य कक्षाओं में कुल 5 सीटें सीमित होंगी। कक्षा 1 में प्रवेश सेक्शन की निर्धारित छात्र संख्या के अंदर होगें जबकि अन्य कक्षाओं में यह सेक्शन की निर्धारित छात्र संख्या से ऊपर होगें।

(xix) प्रत्येक माननीय सांसद इस योजना के अंतर्गत एक शिक्षा-सत्र में प्रवेश हेतु दस (10) मामलों में अनुशंसा कर सकते हैं परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए हो जो उस संसदीय क्षेत्र के निवासी हो या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हों या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों। यह संस्तुति माननीय सासंद द्वारा अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए होगी । यदि किसी माननीय सांसद (लोक सभा) के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है तो वे इन प्रवेशों की सिफारिश किसी भी पड़ोसी सन्निहित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में भी कर सकते हैं। राज्य सभा सांसद के लिए इस उद्देश हेतु वह राज्य उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा जिससे वह चुने गए हैं राज्य सभा एवं लोक सभा मनोनीत सांसद देश में किसी एक विद्यालय या अन्य विद्यालयों में दस (10) मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं।

क) यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होगें।

ख) यह अनुशंसा केवल कक्षा-I से कक्षा-IX तक की कक्षाओं के लिए की जा सकती है।

ग) ये प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही किए जाएंगे निर्धारित अंतिम तारीख (अर्थात् 31 जुलाई) के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा।

घ) यह अनुशंसा माननीय सांसदों को के.वि.सं.(मु0) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में किए जाने पर ही मान्य होगी। अन्य किसी फॉर्म/प्रारूप में संस्तुति भेजे जाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

ङ) माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के लिए प्रवेश की संस्तुति की गई है वह के.वि.सं. प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए।

(xx) सशस्त्र बलों के प्रत्येक शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना और नौसेना एक शैक्षणिक वर्ष में पूर्व प्राथमिक कक्षा तथा कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु 6 मामले भेज सकते हैं। सशस्त्र बलों के शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना और नौसेना, रक्षा कार्मिक के ऐसे 6 बच्चों के नामों की सिफारिश कर सकते हैं जो रक्षा क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता रखते हैं। यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे एवं 31 जुलाई तक पूरे किए जाएंगे तथापि इन प्रावधानों के अंतर्गत कक्षा 10वीं व 12वीं में कोई प्रवेश नहीं दिये जाएंगे ।

2 रक्षा बलों के बच्चों को प्रवेश:

केंद्रीय विद्यालय वाले स्टेशन पर सशस्त्र बल के कर्मियों के स्थानांतरण पर आने पर या सेवानिवृत्ति के बाद वहीं बसने की इच्छा रखने वाले या गैर-परिवार स्टेशन पर तैनाती या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनाती के कारण अपने परिवार को कहीं अन्य रखना चाहते है जहाँ केन्द्रीय विद्यालय हो तो ऐसे अभिभावकों के बच्चों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्ध रक्षा बलों (थल सेना, वायु सेना, जल सेना) एवं अर्ध

सैनिक बल (के0रि0पु0ब0,सी0सु0ब0,भा0ति0सी0पु,स0सी0ब0 एवं के0औ0सु0ब0) द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वत: ही प्रवेश दे दिया जाए ।

यह प्रावधान भारतीय कोस्टगार्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के मामलों में भी लागू होंगे। ये प्रावधान इसरो/एईईएस (परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में पढ़ रहे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी लागू होगें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधान केवल रक्षा कार्मिकों/अर्ध सैनिक बल (के0रि0पु0ब0,सी0सु0ब0,भा0ति0सी0पु,स0सी0ब0 एवं के0औ0सु0ब0) के बच्चों अर्थात पुत्र और पुत्रियों के लिए है। इसमें रक्षा कार्मिकों के पौत्र/पौत्रियाँ सम्मिलित नहीं होंगे। इसमें आयु और अंकों/ग्रेड के मापदण्डों की पात्रता सहित केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा-निर्देश के प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाएगा। बच्चे द्वारा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के माह से विद्यालय विकास निधि सहित सभी शुल्क का भुगतान किया जाएगा चाहे उसके द्वारा अपने पिछले विद्यालय में उत्तरवर्ती महीनों के शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्घ रक्षा मंत्रालयों/विभागों/प्रधिकरणों द्वारा संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऐसे विद्यालय से जारी प्रमाण-पत्र को प्रवेश लेने वाले केंद्रीय विद्यालय के उपायुक्त द्वारा पृष्ठांकित करवाया जाए।

3 पूर्व प्राथमिक छात्रों को कक्षा-1 में प्रवेश

पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 1 में स्वत: प्रवेश के नियम को सत्र 2008-09 से वापस ले लिया गया है। अब कक्षा 1 के सभी प्रवेश नए माने जाएंगे और इन पर प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी।

4. ऐसे विद्यार्थी, जो पूर्व में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे

ऐसे विद्यार्थी, जो पूर्व में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे किन्तु उन्हें (क) माता-पिता का स्थानांतरण होने के कारण या (ख)माता-पिता के फील्ड एरिया में स्थानांतरण के कारण से होने वाले पुनः स्थापन; के कारण से केंद्रीय विद्यालय के अलावा किसी अन्य विद्यालय में पढ़ने को बाध्य होना पड़ा क्योंकि उस स्थान पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है, और यदि संबन्धित अभिभावक (PARENT) का अगला स्थानांतरण ऐसे स्थान पर होता है जहां केन्द्रीय विद्यालय है, ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा की निर्धारित संख्या से ऊपर प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावक को इस आशय का प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।

भाग-ग

प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रचार

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फ़रवरी महीने के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की समय-सारणी का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश के लिए पंजीकृत करने के लिए अभिभावको को आमंत्रित किया जाएगा। इस विज्ञापन में यह भी विशेष रुप से दर्शाया जाना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही सीमित नहीं है अपितु सभी के लिए खुला है, केवल प्रवेश को नियमित करने के लिए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग बच्चों के लिए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आरक्षण भी दर्शाया जाए।

2. पंजीकरण

(i) यदि किसी कक्षा में कोई रिक्त स्थान न हो या स्थान रिक्त होने की संभावना न हो तो उस कक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में रिक्ति उपलब्ध हो जाती है तो स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार करके पंजीकरण किया जा सकता है तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देश के अनुसार प्रवेश किया जा सकता है।

(ii) यदि प्रवेश के लिए इच्छुक बच्चों के पंजीकरण की संख्या कम हो और सभी सीटें भरी न जा सकी हों, तब प्राचार्य रिक्त सीटों की उपलब्धता को दर्शाते हुए दूसरा/तीसरा विज्ञापन मई और जून मास में जारी करेंगे।

(iii) विद्यालयों में प्रवेश विद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से किए जाने अपेक्षित है।यदि कार्यकारिणी समिति द्वारा कक्षा की पूर्ण संस्वीकृत संख्या तक प्रवेश अनुमोदित नहीं किए जाते तो प्राचार्य उसकी जानकारी उपायुक्त को देंगे जो शेष सीटों के लिए प्रवेश की अनुमति प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदान करेंगे।

(iv) कक्षा 11वीं के लिए पंजीकरण 10 वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद किए जाएं और सीबीएसई बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा होने के 20 दिनों के भीतर कक्षा की पूरी संख्या तक प्रवेश पूरे कर लिए जाने चाहिए। विद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन न किए जाने के कारण यदि कक्षा क्षमता तक प्रवेश दिए जाने में कोई कठिनाई आती है तो ऐसी स्थिति में अन्य कक्षाओं के लिए निर्धारित ऊपर दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपायुक्त के अनुमोदन से कक्षा की संस्वीकृत संख्या तक प्रवेश 30 जून तक पूरे कर लिए जाएं।

(v) प्राचार्य द्वारा पंजीकरण फार्म (केवल विशेष प्रावधान के अंतर्गत प्रवेश हेतु (ऑफलाइन मोड़) नि:शुल्क में उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(vi) सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरा हुआ पंजीकरण फार्म निर्धारित तिथि के भीतर विद्यालय कार्यालय में अवश्य जमा किया जाए।पंजीकरण फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक है।

केविसं

3. दस्तावेज

- कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु के प्रमाण के लिए जन्म पंजीकरण के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र ।इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद्/नगर पालिका/नगर निगम के प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्मतिथि संबंधी उद्घरणों को लिया जाएगा। अन्य कक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा निर्गत स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। जन्मतिथि के मूल प्रमाण-पत्र को सत्यापन के पश्चात अभिभावकों को लौटा दिया जाना चाहिए। कक्षा 8 तक प्रवेश बिना किसी अन्य विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के भी दिए जा सकते हैं बशर्ते बच्चा प्रवेश पाने योग्य हो और उसका जन्म प्रमाण-पत्र सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया हो।
- माननीय सांसदों अथवा सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियों के माता अथवा पिता के माननीय सांसदों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी के साथ संबंध होने के बाबत प्रमाण की आवश्कता है।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी (सेवारत/सेवा(निवृत्त- के पौत्र/पौत्रियों के माता अथवा पिता का के0वि0सं0 के कर्मचारी के साथ संबंध होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ ओबीसी(नॉन क्रिमीलियर)/ बीपीएल इत्यादि के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध नही है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के प्रमाण पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु बच्चे से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रवेश के 3 माह के अंदर जमा करना होगा।
- विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/5/88/स्था॰ (एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिसमें विकलांगता प्रमाणित की गई हो, उपलब्ध हो। उन मामलों में जहां बच्चे की विकलांगता प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण-पत्र के विकलांगता समझी जाएगी। तथापि अभिभावक को सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सलाह देते हुए इसे बाद में जमा करने के लिए कहा जाए।
- पूर्वगामी 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण-पत्र जिसमें कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित तथा उसमें कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और अन्य सुसंगत ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हों ।
- वर्दीधारी रक्षा कार्मिकों के लिए सेनानिवृत्ति प्रमाण-पत्र।
- निवास प्रमाण

टिप्पणी :-

(i) पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) अपूर्ण रूप से भरे आवेदन फार्म सामान्यत: अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। रिक्तियों के शेष रहने के मामलों में, प्राचार्य अपने विवेक पर बाद में भी प्रपत्र को पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।

(iii) गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रदद् कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरूद्घ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) जब किसी बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए एक केंद्रीय विद्यालय में पंजीकृत किया जाता है लेकिन परिणाम की घोषणा से पूर्व ही उसके अभिभावक किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो

बच्चे को ऐसी स्थिति में अपने अभिभावक के तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकृत माना जाना चाहिए चाहे वहाँ प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त भी हो गई हो। पंजीकृत फार्म की मूल प्रति तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय को स्थानांतरित कर दी जाए एवं फोटोप्रति उस विद्यालय द्वारा रखी जाए जहां बच्चा पहले पंजीकृत हुआ था।

4. कक्षा-1 के लिए प्रवेश विधि

नए प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में से 15% सीट अनुसूचित जाति एवं 7.5% सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में कमी रहने पर आरटीई कोटे के तहत भर्ती अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या पर विचार करने के बाद ही गणना की जाएगी।

पहले चरण में कक्षा -1 के प्रत्येक सेक्शन के **10** सीट(**40** सीट में से) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत(25%) भरा जाएगा और ये **10** सीट एससी/एसटी/ईडबल्यूएस/बीपीएल/ओबीसी(नॉन **क्रीमीलेयर**)/विकलांग (जो विद्यालय के पड़ोस के निवासी हों) के सभी आवेदनों को एक साथ इकट्ठा करके लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(1) **दूसरे चरण में** शेष सीटों को मौजूदा प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली के आधार पर भरा जाएगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में कमी को प्रवेश प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार भरा जाएगा।

(2) **उदाहरण के लिए**: एक सेक्शन स्कूल में 6 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%) आरक्षित हैं। मान लिया जाये कि, पहले चरण में आरटीई के तहत लॉटरी प्रणाली द्वारा 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों, 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार और 1 विकलांग उम्मीदवार को प्रवेश दिया गया है, तो उपलब्ध एससी सीटें 06-02=4 और एसटी 3-1=2 की सीटों के रूप में विचार किया जाएगा। पंजीकृत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में शेष उम्मीदवारों को प्रवेश प्राथमिकता श्रेणियों के क्रम में विचार किया जाएगा। इस प्रकार से शेष 24 सीटों पर प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर किया जाएग।

टिप्पणी-1:

क) आरटीई के तहत आरक्षित 10 सीटों को किसी भी मामलें में अनारक्षित नहीं किया जाएगा।

ख) 20 अप्रैल के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को इंटरचेंज अर्थात एससी को एसटी और एसटी को एससी में इंटरचेंज किया जा सकता है।

ग) अगर पंजीकरण के पहले चरण में आरटीई के तहत आवश्यक उम्मीदवार पंजीकृत नहीं होते हैं तो अप्रैल माह में दूसरी अधिसूचना जारी की जाए।

घ) सुविधा वंचित समूह/ कमजोर वर्ग/ बीपीएल/ ओबीसी(नॉन क्रीमीलायर) की परिभाषा/पात्रता संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तय की जाएगी।

ङ) कक्षा-1 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

टिप्पणी-2:

(क) **सुविधा वंचित समूह की परिभाषा:**

1. सुविधा वंचित समूह के बच्चे का तात्पर्य उन बच्चों से है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अन्य समूह जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, लैंगिंक और अन्य कारकों के आधार पर समुचित

सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर [आर टी ई एक्ट की सेक्शन 2 (घ)] सुविधा वंचित समूह में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

2. विशेष जरूरतों और अशक्तता से संबंधित बच्चें का अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसे अशक्तता अधिनियम के अंतर्गत अथवा जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा परिभाषित किया गया हो।

(ख) **कमजोर वर्ग की परिभाषा**

- कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले बच्चे का अभिप्राय है जिनके माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय वहाँ की समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित (सेक्शन 2 ई) के द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आय सीमा का निर्धारण सबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लागू होगा।

(ग) **पड़ोस की परिभाषा और निवास का प्रमाण** (केवल शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रवेश हेतु लागू)
यद्यपि केंद्रीय विद्यालय विभिन्न जनसंख्या घनत्व में अवस्थित है, पड़ोस के क्षेत्र की सीमा का निर्धारण के लिए निम्न तरह से वर्गीकृत किया गया है: -

1. प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय एवं महानगरीय क्षेत्र) 5 कि.मी. की परिधि ।
2. ऊपर 1 में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा 8 कि.मी. की परिधि।

<u>टिप्पणी-3:</u>

1. सभी आवेदकों को अपने निवास का प्रमाण देना होगा ।
2. अभिभावकों द्वारा दूरी संबंधी लिखित स्व:घोषणा को इस आशय के लिए स्वीकार कर लिया जाए, जो सत्यापन के अधीन होगा।

5. कक्षा 1 में ऑनलाइन माध्यम से एवं अन्य कक्षाओं में ऑफलाइन माध्यम के द्वारा प्रवेश किए जायेंगे:

ऑफलाइन माध्यम के अंतर्गत प्रवेश हेतु, ड्रॉ की पर्चियां निकालने के लिए समिति का गठन:

प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 व अन्य कक्षाओं जहां उपलब्ध सीटों की संख्या के लिए किसी वर्ग विशेष या स्थानांतरणों की संख्या समान हो जाने पर उपलब्ध सीटों की संख्या को समायोजित न किया जा सके ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे मामलों को निपटाने के लिए ड्रॉ के पर्यवेक्षण के लिए एक समिति का गठन किया जाए ।

समिति में निम्न 05 सदस्यों को शामिल किया जाएगा :

1	प्राचार्य	संयोजक
2	शिक्षक	सदस्य (प्राचार्य द्वारा नामांकित)
3 व 4	दो अभिभावक(एक महिला)	सदस्य,(एक अभिभावक जिसके बच्चे का प्रवेश आरटीई अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 12(1)(ग) के अंतर्गत किया जाना है।)
5	विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य	सदस्य के (वि.प्र.स.के. अध्यक्ष द्वारा नामांकित)

- प्राचार्य द्वारा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में से एक अतिरिक्त छठा सदस्य नामांकित किया जा सकता है जहां ये कक्षाएं उपलब्ध है।
- अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति की सहमति से इस समिति के गठन की अधिसूचना ड्रॉ के कम से कम 5 दिन पहले कर दी जाए और उसे विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए।

6. शुल्क एवं अन्य रियायतें

* आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिन 25% बच्चों को प्रवेश दिया गया है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

* आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेश दिये गये 25% बच्चों को उनकी कक्षा की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों, नोट-बुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और परिवहन से सम्बंधित अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति निधि (Fund) की उपलब्धता के अनुसार एवं निर्धारित खर्च की उच्चतम सीमा के अंदर रहते हुए, उसके मूल बिल पेश करने पर की जाएगी।

* एक बार जब किसी बच्चे का आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा-1 में प्रवेश मिल जाता है उसे कक्षा- 8 तक सभी रियायतें उसी केंद्रीय विद्यालय में मिलती रहेगीं और स्थानांतरण होने पर दूसरे केंद्रीय विद्यालय में भी उन रियायतों का लाभ मिलता रहेगा।

* अभिभावक का निवास प्रमाण पंजीकरण के समय पेश किया जाना चाहिए।

* यदि किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ मिल रहा है तो वह आरटीई अधिनियम की रियायतों का दावा नहीं कर सकता है।

7. कक्षा II से VIII में प्रवेश की पद्धति

क. कक्षा II से कक्षा VIII में प्रवेश के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी तथा प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली(1 से 5 या 6 मामले के अनुसार) के आधार पर दिए जाएं। यदि सीटों की संख्या से अधिक आवेदन हों तो प्रत्येक श्रेणी के कोटे को लॉटरी व्यवस्था से भरा जाए । कक्षा 6 और उपर की कक्षाओं के लिए यह प्रक्रिया इकलौती पुत्री संतान के लिए भी अपनाएँ जाए ।

8. कक्षा IX में प्रवेश की पद्धति

कक्षा IX में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्राथमिकता की प्रत्येक श्रेणी के लिए योग्यताक्रम के अनुसार अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(i) प्रवेश-परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों में आयोजित की जाएगी।

(ii) प्रवेश परीक्षा के लिए केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसकी समय अवधि 3 घंटे और अंक 100 होंगे जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक निर्धारित हैं ।

(iii) अभ्यर्थी को कुल योग के कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होगें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग(PH) के विद्यार्थी कुल योग का 25% अंक प्राप्त करने पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

9. कक्षा XI में प्रवेश की पद्धति

के.वि. छात्रों के लिए: केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में विभिन्न वर्गों अर्थात विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी में प्रवेश कक्षा-10 में छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाएगा:

क) विज्ञान वर्ग :- न्यूनतम कुल 60% अंक

ख) वाणिज्य वर्ग :- न्यूनतम कुल 55% अंक

ग) मानविकी वर्ग :- केंद्रीय विद्यालय के कक्षा दसवी के उत्तीर्ण घोषित सभी छात्र

नोट: संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय एवं निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालय के सभी पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात यदि कक्षा-11 में रिक्तियाँ रह जाती हैं तो गैर-केन्द्रीय विद्यालयी छात्रों को प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम में उपर्युक्त मापदंडो के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए ।

ऐसी परस्थिति भी हो सकती हैं जहां उपर्युक्त मापदंड के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों से 10वी कक्षा पास करने वाले एवं कक्षा 11वी में प्रवेश के इच्छुक पात्र बच्चे स्ट्रीमों के लिए पर्याप्त संख्या में, विशेष तौर से हार्ड स्टेशन/दूरस्थ केन्द्रीय विद्यालयो में उपलब्ध न हों । ऐसी संभाविता (eventuality) में संबन्धित केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य अपने क्षेत्रीय उपायुक्त को प्रवेश में पात्रता मापदंड को कम करने के लिए पंजीकरण विवरण एवं पात्र विद्यार्थियों की सूची के साथ प्रस्ताव भेज सकते हैं । क्षेत्रीय उपायुक्त स्वनिर्णय लेते हुए निम्नानुसार विभिन्न स्ट्रीमों में पात्रता मापदंड कम कर सकते हैं ।

क) विज्ञान वर्ग :- न्यूनतम कुल 55% अंक

ख) वाणिज्य वर्ग :- न्यूनतम कुल 50% अंक

ग) मानविकी वर्ग :- केंद्रीय विद्यालय के कक्षा दसवी के उत्तीर्ण घोषित सभी छात्र

नोट: संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय एवं निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालय के सभी पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात यदि कक्षा-11 में रिक्तियाँ रह जाती हैं तो गैर-केन्द्रीय विद्यालयी छात्रों को प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम में उपर्युक्त मापदंडो के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए ।

<u>मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जो भी रियायतें लागू हों उनको शामिल किया जाएगा:</u>

क) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों ने एक ही समान अंक प्रतिशत प्राप्त किए है तो ऐसे छात्रों की आपस में योग्यता को निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

i.) जिस छात्र ने गणित में अधिक अंक प्राप्त किए है उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।

ii.) अगर दो या दो से अधिक छात्रों के गणित में समान अंक हैं तो गणित और विज्ञान के अंको को मिलाकर अधिक अंक वाले को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।

iii.) अगर दो या दो से अधिक छात्रों के गणित और विज्ञान के अंक बराबर है तो जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा है उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।

ख) प्राचार्य, कक्षा 11 में गैर-केन्द्रीय विद्यालयी छात्रों का प्रवेश निर्धारित छात्रों की संख्या (40) तक प्रवेश दे सकते हैं। केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों के मामलों में यह संख्या समान्यतः 55 तक की जा सकती है यद्यपि केन्द्रीय विद्यालय के पात्र छात्रों को 55 से अधिक समायोजित करने के लिए अतिरिक्त सेक्शन खोलने के प्रयास किए जाएं।

ग) विद्यार्थी, जो प्रवेश के लिए पहले किसी विशेष संकाय में पात्र नहीं पाए गए हैं उन्हें उस विशेष संकाय में अगले शिक्षा-सत्र में प्रवेश के लिए कक्षा 11वीं में नए प्रवेश के रूप में लिया जा सकता है बशर्ते कि उसने एक वर्ष के दौरान अपना निष्पादन उसी बोर्ड से सुधार लिया हो।

टिप्पणी : इंफोर्मेटिक प्रेक्टिसेस को एक वैकल्पिक विषय के रूप में सभी स्ट्रीम में दिया जाता है। अतः इसमें प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

कम्प्यूटर साइंस और बॉयो टेक्नोलॉजी जहां भी ऐच्छिक विषय के रुप में उपलब्ध है विज्ञान स्ट्रीम में विद्यालयों को दी जाए और प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार दिए जाएंगे। मल्टीमिडिया और वेब-डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी (जहां उपलब्ध हैं) को संयुक्त योग्यता सूची के अनुसार सभी संकायों में(वाणिज्य, मानविकी व विज्ञान) में दिए जा सकते हैं।

कक्षा-11 में प्रवेश के लिए निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाएगीं:

क) विभिन्न स्तरों पर खेलकूद/स्काउटिंग और गाइडिंग/एनसीसी/साहसिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध होंगी। इसके लिए प्रमाण-पत्र किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष का हो सकता है।

क्रमांक	खेलकूद	एनसीसी	स्काउट/गाइड	विज्ञान/वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु साहसिक क्रियाकलाप	अंको में छूट
क	एसजीएफआई अथवा समकक्षीय स्तर पर सहभागिता	'ए'प्रमाण-पत्र और गणतंत्र दिवस/ प्रधानमंत्री रैली में प्रतिभागिता	राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण-पत्र	शून्य	6% अंक
ख	केविसं/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रतिभागिता	'ए' प्रमाण-पत्र और जिला/राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कैडेट	7 दक्षता बैजों के साथ राज्य पुरस्कार	शून्य	4% अंक
ग	केविसं क्षेत्रीय/जिला स्तर पर प्रतिभागिता	'ए' प्रमाण-पत्र	5 दक्षता बैजों के साथ तृतीय सोपान प्रमाण-पत्र	कम से कम किसी 10 दिवसीय साहसिक क्रियाकलाप में प्रतिभागिता	2% अंक

ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग(PH) से संबंधित विद्यार्थियों को 11वीं में विज्ञान/वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए 4% अंकों का उच्च/अपग्रेड दिया जाएगा।

<u>टिप्पणी :</u> खेलकूद/स्काउट/गाइड/एनसीसी/साहसिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिकतम छूट 6% अंक से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त (क) और (ख) के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में एक से अधिक छूट की योग्यता की स्थिति में उम्मीदवार को अधिकतम लाभ की एक छूट दी जाएगी(यह लाभ गैर के.वि. विद्यार्थियों को भी नए प्रवेश के समय प्रदान किया जाए)

नोट: हिन्दी संस्करण में संदेह की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।